सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 28, बुधवार, शाके 1944-मई 18, 2022	
Vaisakha 28, Wednesday , Saka 1944- May 18, 2022	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 16, 2022

संख्या प.2(1)न्याय/2022 :-पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/2014 दिनांक 05.02.2015 की निरन्तरता में, दिनांक 17.04.2018 के पश्चात् सृजित जिला मुख्यालय पर स्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को छोडकर शेष अन्य स्थानों पर स्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों यथा अपर जिला न्यायालय नसीराबाद (अजमेर), कठूमर, थानागाजी (अलवर), अटरू (बांरा), बैर, नगर (भरतपुर), गंगापुर(भीलवाडा), डुंगरगढ(बीकानेर), नैनवा (बुन्दी), बैंगू(चित्तौडगढ), सरदारशहर(चुरू), महवा, सिकराय (दौसा), सादुलशहर, संख्या 2 अनुपगढ (श्रीगंगानगर), संख्या 4 कोटपूतली, संख्या 2 शाहपुरा (जयपुर जिला), सांचौर (जालोर), बिलाड़ा (जोधपुर जिला), मकराना, कुचामनसिटी, लाडनूं (मेडता न्यायक्षेत्र), देसुरी (पाली), संख्या 2 गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर), लक्ष्मणगढ, दातारामगढ, संख्या 2 नीम का थाना(सीकर), पिण्डवाड़ा (सिरोही), निवाई (टोंक), मावली (उदयपुर) को पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां संबंधित न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रदान की जाती हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।